



भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
पो. ओ. आइ आइ पी, मोहकमपुर, देहरादून-248005
Ph. 91-135-2525754, 0135-2525945
E-Mail- rawats@iip.res.in



PURCHASE SECTION

संख्या:-आई आई पी / कय / आर सी / 19-20 / गैस /

दि. 26-07-2019

मै0 गुप्ता गैस इंडस्ट्रीज
निरंजनपुर सहारनपुर रोड
पो ओ माजरा, देहरादून

E mail – mcgddn@gmail.com, sureshkumarr1994@yahoo.com

विषय:-संस्थान में इन्डस्ट्रियल गैसों की आपूर्ति करने के लिए रेट कांट्रैक्ट (2019-2020)

महोदय,

निदेशक भापेंस, देहरादून ने वर्ष 2019-20 हेतु आपको संस्थान में 01.08.2019 से 31-07-2020 की अवधि तक गैसों की सप्लाई के लिए अधोलिखित नियम व शर्तों के आधार पर वार्षिक-रेट कांट्रैक्ट स्वीकृत किया गया है। गैसों के विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	गैसों का विवरण	राशि रु.
1.	Carbon-di-Oxide(UHP) (in kg.) 99.999	588/ 30 kg
2.	Zero Air (UHP) 99.999	749/7.0 Cu mtrs.
3.	Oxygen UHP (99.999% Purity)	6349/ 7.0 Cu. Mtrs.
4.	Hydrogen UHP-Purity(99.999% Purity)	1015/ 7.0 Cu. Mtrs.
5.	Oxygen (Purity 99.9%)	245/ 7.0 Cu. Mtrs.
6.	Dissolved Acetylene UHP -(Purity 99.999%)	1242/6.0 cu. Mtrs.

निबंधन एवं शर्तें

1. उपरोक्त मूल्य दर वार्षिक रेट कांट्रेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है।
2. कृप्या अपनी सहमति 5 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. गैस सिलिंडरों को संस्थान के रसायन स्टोर से प्राप्त करना/आपूर्ति करना होगा।
4. **जी.एस.टी. सरकार के नियमान्तर्गत** होगा।
5. संविदा अवधि के भीतर मूल्य में बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी।
6. सिलिंडर पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जाएगा।
7. **समस्त सिलिंडर 47 लीटर (7 cu mtr.) का होना आवश्यक है।**
8. प्रत्येक सिलिंडर पर गैस का नाम/यूएचपी ग्रेड अंकित होना चाहिए।
9. गैसों की **शुद्धता मानक का पालन न किए जाने की दशा में रेट कांट्रेक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।**
10. यदि यूएचपी सिलिंडरों पर आपूर्ति की गई गैस मांग के अनुरूप नहीं पाई गई तो ऐसे सिलिंडर को संस्थान द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आपूर्तिकर्ता को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क/मूल्य के इन्हें बदलना होगा।
11. गैसों की आपूर्ति क्रय आदेश प्रस्तुत होने के 15 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। अन्यथा 0.5% प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना विलंबित अवधि के लिए लगाया जाएगा जो अधिकतम 10% होगी। अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के मामले में आईआईपी द्वारा आदेश/अनुबंध रद्द किया जा सकता है। इस तरह के आपूर्तिकर्ताओं के साथ भविष्य के व्यापार/व्यवहार भी प्रभावित होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की जा रही गैस की दरें न्यूनतम हैं एवं वे किसी अन्य ग्राहक को इससे कम दरों पर इन गैसों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।
13. गैसों की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सिलिंडरों/संस्थान के सिलिंडरों में आपूर्तिकर्ता के वाहन द्वारा **निशुल्क** की जाएगी।
14. सिलिंडर की आपूर्ति संस्थान के भीतर तक (एफओआर आइ आइ पी स्टोर) की जाएगी।
15. भुगतान बिल बेसिस के आधार पर किया जाएगा।
16. गैसों/सिलिंडरों का निरीक्षण संस्थान परिसर में होगा।
17. हर सप्लाई के साथ शुद्धता प्रमाण संलग्न करें।
18. **सभी गैस सिलिंडर में कलर कोड होना चाहिए**
19. सभी विवाद विषय का क्षेत्राधिकार केवल देहरादून होगा।
20. निदेशक आइ आइ पी को यह संविदा बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा, जिस पर कोई पत्राचार स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

भवदीय

Zi Anwar

अनुभाग अधिकारी/भंडार एवं कय अधिकारी



भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
पो. ओ. आइ आइ पी, मोहकमपुर, देहरादून-248005
फैक्स-0135-2660072, 2660202



फोन-0135-2525754

E-Mail- info.pur@iip.res.in

संख्या:- आई आई पी / कय / आर सी / 19-20 / गैस /

दि. 26.07.2019

मै0सिग्मा गैस एंड सर्विसेस
बी -34, डी डी ए शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेस -II, न्यू दिल्ली-110020
E mail- sigmagases@gmail.com

विषय:-संस्थान में इन्डस्ट्रियल गैसों की आपूर्ति करने के लिए रेट कांट्रेक्ट (2019-2020)

महोदय,

निदेशक भापेंस, देहरादून ने वर्ष 2019-20 हेतु आपको संस्थान में 01.08.2019 से 31-07-2020 की अवधि तक गैसों की सप्लाई के लिए अधोलिखित नियम व शर्तों के आधार पर वार्षिक-रेट कांट्रेक्ट स्वीकृत किया गया है। गैसों के विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	गैसों का विवरण	राशि रु.
1.	Nitrogen(UHP) 99.999	700/7.0 Cu Mtrs.
2.	Argon(UHP) 99.999	1050/7.0 Cu Mtrs.
3.	Dissolved Acetylene (UHP)- Purity 99.99 %	2800.00/6.0 Cu Mtrs.
4.	Helium UHP-Purity -99.999%	13300.00/7.0 Cu Mtrs.

निबंधन एवं शर्तें

1. उपरोक्त मूल्य दर वार्षिक रेट कांट्रैक्ट के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है।
2. कृप्या अपनी सहमति 5 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. गैस सिलिंडरों को संस्थान के रसायन स्टोर से प्राप्त करना/आपूर्ति करना होगा।
4. **जी.एस.टी. सरकार के नियमान्तर्गत** होगा।
5. संविदा अवधि के भीतर मूल्य में बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी।
6. सिलिंडर पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जाएगा।
7. **समस्त सिलिंडर 47 लीटर (7 cu mtr.) का होना आवश्यक है।**
8. प्रत्येक सिलिंडर पर गैस का नाम/यूएचपी ग्रेड अंकित होना चाहिए।
9. गैसों की **शुद्धता मानक का पालन न किए जाने की दशा में रेट कांट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।**
10. यदि यूएचपी सिलिंडरों पर आपूर्ति की गई गैस मांग के अनुरूप नहीं पाई गई तो ऐसे सिलिंडर को संस्थान द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आपूर्तिकर्ता को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क/मूल्य के इन्हें बदलना होगा।
11. गैसों की आपूर्ति क्रय आदेश प्रस्तुत होने के 15 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। अन्यथा 0.5% प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना विलंबित अवधि के लिए लगाया जाएगा जो अधिकतम 10% होगी। अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के मामले में आईआईपी द्वारा आदेश/अनुबंध रद्द किया जा सकता है। इस तरह के आपूर्तिकर्ताओं के साथ भविष्य के व्यापार/व्यवहार भी प्रभावित होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की जा रही गैस की दरें न्यूनतम हैं एवं वे किसी अन्य ग्राहक को इससे कम दरों पर इन गैसों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।
13. गैसों की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सिलिंडरों/संस्थान के सिलिंडरों में आपूर्तिकर्ता के **वाहन द्वारा निशुल्क** की जाएगी।
14. सिलिंडर की आपूर्ति संस्थान के भीतर तक (एफओआर आइ आइ पी स्टोर) की जाएगी।
15. भुगतान बिल बेसिस के आधार पर किया जाएगा।
16. गैसों/सिलिंडरों का निरीक्षण संस्थान परिसर में होगा।
17. हर सप्लाई के साथ शुद्धता प्रमाण संलग्न करें।
18. **सभी गैस सिलिंडर में कलर कोड होना चाहिए**
19. सभी विवाद विषय का क्षेत्राधिकार केवल देहरादून होगा।
20. निदेशक आइ आइ पी को यह संविदा बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा, जिस पर कोई पत्राचार स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

भवदीय

अनुभाग अधिकारी/भंडार एवं कय अधिकारी